समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के निमित्त अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र दुकानों का भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। मधेपुरा जिला अन्तर्गत एक मात्र प्रतिष्ठान मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को शस्त्र खरीद एवं बिक्री करने संबंधी अनुज्ञप्ति सं0-02/2002 प्रदत्त है।

अतः उक्त प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन दिनांक-15.09.2020 को करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रतिनियुक्त किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि वे भौतिक सत्यापन उपरान्त विस्तृत प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा के व्यवस्थापक को निदेश दिया जाता है कि वे भौतिक सत्यापन के समय अपने प्रतिष्ठान पर उपस्थित रहेंगे एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 178 /श0, मधेपुरा, दिनांक 12 /09/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

12/9

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।